न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 28/2026 निर्णय दिनांकः– 11-5-26
(जीसीएमएस संख्या 2026/85)

1. मनती पत्नी अली खां जाति मुसलमान निवासी सरदारपुरा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।
2. अमीना
3. सदीक खां
4. सम्मू खां
5. सुमर खां
6. कालू खां
7. लतीफ
8. शैती

पिसरान अली खां जाति मुसलमान निवासीगण सरदारपुरा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

9. नेकू खां
10. मलकु खां
11. नेंका

पुत्र–पुत्रियॉ रेशमा पुत्री अली खां जाति मुसलमान निवासीगण सरदारपुरा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छतरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 23–02–2026
उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़

उपस्थितः
1. श्री धीरेन्द्र भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 23–02–2026 जिसके द्वारा अपीलांट्स का दावा खारिज़

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किये कि अपीलांटान के पिता अली खां पुत्र अमीर खां मुसलमान इनकी मृत्यु दौरान वाद हो गई थी, को बतौर पांच साला आवंटन गांव सरदारपुरा की रोही के खसरा नंबर 330/160 में 40.00 बीघा बारानी भूमि विधिवत् सम्वत् 2019 को आवंटन हुई थी। जिस पर मृत्यु से पूर्व तक अली खां बाद में अपीलांटान का आज तक काबिज काश्त है एवं काफी खर्चा कर उक्त भूमि को खेती लायक बनाया है। मौके पर ढाणी बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रहा है एवं समस्त अपीलांटान के उपयोग उपभोग में है। मगर फिर भी जैर अपील आदेश व डिकी पारित कर कानूनी भूल की जो निरस्त योग्य है। अपीलांटान के पूर्वज को वरवक्त आवंटन कब्जा दिया गया लम्बे अरसे से वहीं पर 34–35 वर्षों से काबिज काश्त है जो वर्तमान में नये खसरा नंबर बनने पर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल नये खसरा नंबर 346/887 बने है। अपीलांटान के पूर्वज ने समय–समय पर समस्त लगान खजाना राज में जमा करवाये है। अपीलांटान के पूर्वज आवंटन का नियमित नवीनीकरण करवाते रहे फिर भी रेस्पोडेंट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलांटान के हकों पर कुठाराघात करते हुए उक्त रकबा सम्वत् 2030 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश अराजीराज दर्ज कर दिया। अपीलांटान उक्त रोंगफुल प्रविष्टि को हटाकर घोषणात्मक रिकार्ड दुरस्ति अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर टी.सी. से पुख्ता आवंटी घोषित होने का विधिक अधिकारी है। अपीलांटान के पूर्वज के समय से निरंतर एवं निर्बाध रूप से उक्त भूमि पर काबिज काश्त है जिसको राज्य सरकार के नियम मुताबिक विधिवत् काश्तकार घोषित किया जाना था क्योंकि सरकार इन्हें स्वतः ही दस साला आवंटी घोषित किया था और अपीलांटान इसके पात्र थे। उक्त रकबा आज भी अपीलांटान के कब्जा काश्त में है, जो अपना नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज करवाने का विधिवत् अधिकारी है। अपीलांटान का अपनी पुश्तैनी भूमि पर वर्षों पूर्व से आज दिन तक कब्जा चला आ रहा है जिसकी ताईद तावान के नोटिस व जिसमें कब्जा काश्त मौके पर अपीलांटान का ही भौतिक कब्जा काश्त बताया गया है मौके पर रिहायशी ढाणी व पानी की कुण्ड

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बनी हुई है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटान की पैतृक भूमि को रिकार्ड में सही रूप से दर्ज नहीं किया बाद में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अराजीराज दर्ज कर दी गई। इस प्रकार की एन्ट्री प्रारंभ से ही शुन्य है जिसे दुरस्त कर अपीलांटान के पूर्वज ने नाम दर्ज करने का वाद पेश किया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर, रिकार्ड के विपरीत जाकर निरस्त किया है ऐसा आदेश निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकियाद जो कायम किया उनको अपीलांटान द्वारा रिकार्ड व साक्ष्य सबूत पेश कर बखूबी साबित किया था जिसका अपने निर्णय में कहीं भी अंकन नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश व डिकी में तनकियात में किसी प्रकार से विवेचना नहीं की गई ना तो प्रदर्श अंकित किये गये और ना ही साक्ष्य पेश किये उसका हवाला दिया ना ही यह अंकित किया कि शहादत में किस गवाह ने क्या कहा, ना ही यह अंकित किया की किस प्रकार से साबित नहीं हुआ कि तथ्यों को अंकित किये बिना आदेश व डिकी पारित किया गया है। अपीलांटान की तरफ से जो गवाह पेश किये थे उनसे बखूबी वाद साबित हो रहा था गवाह से किसी प्रकार की जिरह नहीं की गई इससे साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक वाद साबित माना जाना चाहिए था। मगर इस तथ्य पर गौर किये बिना आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी की तरफ से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। इससे यह जाहिर होता है कि वादीगण का वाद साबित था मगर फिर भी जैर अपील आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जे काश्त की रिपोर्ट तहसीलदार से ली गई उससे वादीगण का कब्जा काश्त, ढाणी बखूबी साबित था मगर इस तथ्य को नजरअंदाज कर जैर अपील आदेश व डिकी पारित की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपीलांट को उपरोक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी का आवंटन अपीलांट के पूर्वजो को 5 साला आवंटन के रूप में संवत 2019 को किया गया था। जिसका बाद में कभी नवीनीकरण नही हुआ। नियमानुसार 5 साल पश्चात उक्त आवंटन स्वत ही निरस्त हो जाने के कारण वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में आराजीराज कर दी गई। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद खारिज किया गया है। अपीलांट अराजीराज भूमि में अपना अधिकार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

स्थापित नही कर सकते है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

अपीलांट के पिता/पति द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद अन्तर्गत धार 88, 89 आरटीए एवं धारा 136 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया। इस वाद में अपीलांटस के पिता/पति द्वारा द्वारा प्रश्नगत आराजी आराजीराज सिवाय चक से हटाकर उसके स्थान पर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में पुख्ता आवंटी के रूप में दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदशों/दस्तावेजो पर विस्तृत विवेचना करते हुए वाद वादी खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश हुई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध स्टेट के जवाब के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट/वादी के पूर्वजो को प्रश्नगत अराजी का आवंटन 5 साला (टीसी आवंटन) के रूप में किया गया था। जिसका कभी आगे नवीनीकरण नही हुआ। जिस कारण प्रश्नगत अराजी अराजीराज दर्ज की गई। वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय व इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादी/अपीलांट द्वारा अपने टी.सी. आवंटन का कभी नवीनीकरण करवाया हो अथवा टी.सी. आवंटन से पुख्ता आवंटन संबंधी कोई आवेदन अथवा राशि जमा करवाई गई हो।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी के दावा व स्टेट के जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में 4 तनकीयात कायम करते हुए तथा प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नही होती हे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ का निर्णय दिनांक 23–02–2026 यथावत् बहाल रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 11-5-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर